पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 130/2023

अनवान :

रतन लाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र दयासुख जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. हनुमान पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बस स्टेण्ड भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 144/135 के खसरा सं0 109 की 12.027है0, ख0सं0 135 की 2.0230 है0, खसरा सं0 270 की 0.3540है0, खसरा सं0 303 की 1.3280है0, खसरा सं0 4 की 6.0070है0 कुल खसरा 5 की 21.7390है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन अकेले की बजाय वादी रतनलाल व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन, प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्र, प्रतिवादी सं0 3 हनुमान को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner